

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 406]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2015—आश्विन 13, शक 1937

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

सोमवार, दिनांक 5 अक्टूबर, 2015 (आश्विन 13 1937)

क्र. 21583-वि.स.-विधान-2015.—डॉ. सीतासरन शर्मा, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा ने भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 6 (1) के अधीन प्राप्त शक्तियों के अनुसरण में श्री सुखेन्द्र सिंह, (बन्ना), सदस्य मध्यप्रदेश विधान सभा की ओर से, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरहता) नियम, 1986 के अन्तर्गत श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा को निरह घोषित करने के संबंध में प्राप्त अर्जी के परिप्रेक्ष्य में, प्रकरण में समस्त तथ्यों पर विचारोपरान्त दिनांक 26 सितम्बर 2015 को यह विनिश्चय किया है कि श्री नारायण त्रिपाठी, जो कि मध्यप्रदेश की चतुर्दश विधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 65-मैहर से सदस्य निर्वाचित हुए थे तथा उक्त अर्जी पर अंतिम निर्णय होने के पूर्व ही श्री नारायण त्रिपाठी द्वारा दिनांक 27 अगस्त 2015 को विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दिये जाने एवं उसे स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप श्री नारायण त्रिपाठी दिनांक 27 अगस्त 2015 से मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है। अतः विचाराधीन अर्जी में वांछित अनुसार निराकरण का औचित्य समाप्त होने से, इस प्रकरण को समाप्त कर इस अर्जी को एतद्वारा खारिज किया गया है।

क्र. 21585-वि.स.-विधान-2015.—डॉ. सीतासरन शर्मा, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा ने भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 6 (1) के अधीन प्राप्त शक्तियों के अनुसरण में श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य मध्यप्रदेश विधान सभा की ओर से, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरहता) नियम, 1986 के अन्तर्गत श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा को निरह घोषित करने के संबंध में प्राप्त अर्जी के परिप्रेक्ष्य में, प्रकरण में समस्त तथ्यों पर विचारोपरान्त दिनांक 26 सितम्बर 2015 को यह विनिश्चय किया है कि श्री नारायण त्रिपाठी, जो कि मध्यप्रदेश की चतुर्दश विधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 65-मैहर से सदस्य निर्वाचित हुए थे तथा उक्त अर्जी पर अंतिम निर्णय होने के पूर्व ही श्री नारायण त्रिपाठी द्वारा दिनांक 27 अगस्त 2015 को विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दिये जाने एवं उसे स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप श्री नारायण त्रिपाठी दिनांक 27 अगस्त 2015 से मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है। अतः विचाराधीन अर्जी में वांछित अनुसार निराकरण का औचित्य समाप्त होने से, इस प्रकरण को समाप्त कर इस अर्जी को एतद्वारा खारिज किया गया है।

क्र. 21587-वि.स.-विधान-2015.—डॉ. सीतासरन शर्मा, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा ने भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 6 (1) के अधीन प्राप्त शक्तियों के अनुसरण में श्री रामनिवास रावत, सदस्य मध्यप्रदेश विधान सभा की ओर से, मध्यप्रदेश विधान

सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरहता) नियम, 1986 के अन्तर्गत श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा को निरह घोषित करने के संबंध में प्राप्त अर्जी के परिप्रेक्ष्य में, प्रकरण में समस्त तथ्यों पर विचारोपरान्त दिनांक 26 सितम्बर 2015 को यह विनिश्चय किया है कि श्री नारायण त्रिपाठी, जो कि मध्यप्रदेश की चतुर्दश विधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 65-मैहर से सदस्य निर्वाचित हुए थे तथा उक्त अर्जी पर अंतिम निर्णय होने के पूर्व ही श्री नारायण त्रिपाठी द्वारा दिनांक 27 अगस्त 2015 को विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दिये जाने एवं उसे स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप श्री नारायण त्रिपाठी दिनांक 27 अगस्त 2015 से मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है। अतः विचाराधीन अर्जी में वांछित अनुसार निराकरण का औचित्य समाप्त होने से, इस प्रकरण को समाप्त कर इस अर्जी को एतद्वारा खारिज किया गया है।

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.